

A. R. Acad
1/2019
27.11.19

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ-23-23//2019/38-2

भोपाल, दिनांक 15/11/2019

प्रति,

- समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा संभाग, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
- समस्त कुलसचिव, शासकीय विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
- प्राचार्य, समस्त आयोजक शासकीय महाविद्यालय (शिकायत निवारण शिविर), मध्यप्रदेश।

विषय:- शिकायत निवारण शिविर के आयोजन हेतु दिशा निर्देश।

संदर्भ:- मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक एफ-23-23/2019/38-2 दिनांक 28.08.2019 एवं 21.10.2019.

-0-

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी संदर्भित आदेश के तहत महाविद्यालयों के विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अधिकारियों की विभिन्न शिकायतों/समस्याओं के सनाधान हेतु संभाग स्तर पर शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया जाना है। शिकायत निवारण शिविर के आयोजन को परिणामोंमुखी एवं प्रभावी बनाने हेतु निम्न दिशा-निर्देश हैं:-


- शिविर का समय प्रातः 11:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक रहेगा।
- शिकायत निवारण शिविर का आयोजन प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा एवं आयुक्त, उच्च शिक्षा के मानदंडन में किया जावेगा। इस शिविर में मंत्रालय एवं संचालनालय के अधिकारीगण, कर्मचारी आवश्यकतानुसार उपस्थित रहेंगे। विश्वविद्यालय के कुलसचिव व कर्मचारियों को आमंत्रित किया जावे।
- शिकायत निवारण शिविर में संभाग के क्षेत्रांतर्गत आने वाले जिलों के अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य एवं संभागीय मुख्यालय में स्थित सभी शासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य भी उपस्थित होंगे।
- शिकायत निवारण शिविर के लिए प्रचार-प्रसार करने हेतु आयोजक अग्रणी महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित टाइम के पोस्टर छपवायें जाएंगे, जिसकी प्रतियां विभिन्न महाविद्यालयों को उनके नोटिस बोर्ड पर चला करने हेतु प्रेषित की जावेगी। प्रेस विभाग स्थानीय समाचार पत्रों में भी दी जावे।
- आयोजक महाविद्यालय द्वारा आयोजन संबंधी विभिन्न समितियों का गठन किया जावे।
- शिविर में पर्याप्त बैठक व्यवस्था सुनिश्चित की जावे, पत्रकारों, मीडियाकर्मी हेतु पृष्ठक से बैठक व्यवस्था होनी चाहिये। शिविर में सभी प्रकार की मूलभूत आवश्यकताओं भाहित बाहर से आमंत्रित अतिथियों एवं शिविर में संलग्न अधिकारियों/कर्मचारियों को दोपहर भोजन (वर्किंग लन्च) की व्यवस्था करना आयोजक महाविद्यालय का उत्तरदायित्व होगा।

निरंतर...

7. शिविर आयोजन के लिए महाविद्यालय द्वारा कम्प्यूटर, इंटरनेट, ऑपरेटर, दूरभाष आदि की समूचित व्यवस्था की जावे।
8. शिकायतों की पूर्व पंजीयन एवं स्थल पर पंजीयन की व्यवस्था की जावे।
9. शिविर में विद्यार्थियों एवं शिक्षकों आदि की शिकायतों के निराकरण हेतु निम्नलिखित कांडंटर स्थीरप्रित किये जावे:-

 - विश्वविद्यालयीन शिकायत
 - द्यावद्युति एवं अन्य शासकीय योजनाओं से संबंधित शिकायत
 - महाविद्यालयों से संबंधित एवं अन्य शिकायत
 - शिक्षक एवं कर्मचारियों की शिकायत
 - हेल्प डेस्क

10. द्यावद्युति से संबंधित शिकायतों के समूचित निराकरण हेतु अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के संभाग/जिला स्तर के अधिकारियों को आमंत्रित किया जावे।
11. आवश्यकतानुसार स्थानीय प्रशासन का सहयोग प्राप्त किया जावेगा। अतिरिक्त संचालक स्तर से कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक को शिविर की सूचना प्रदान की जावे।
12. शिविर के समाप्त उपरान्त प्रतिवेदन अग्रणी महाविद्यालय के द्वारा प्रस्तुत किया जावेगा। आयोजन व्यय जनभागीदारी भद्र में विकलनीय होगा।
13. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक अपने सभाग की पूर्व से प्राप्त शिकायतों को संकलित कर शिविर में निराकरण हेतु प्रस्तुत करें।
14. आदेश दिनांक 29.08.2019 के अनुसार शिविर आयोजन की शेष कार्डवाही की जावे।


 (ज्यौश्री मिश्रा)
 अपर सचिव
 मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

रानी दुर्गाविती विश्वविद्यालय, जबलपुर



पृ० क्रमांक / अक्ता / 2019 / ३०० ४९१२

जबलपुर, दिनांक 28/11/1649

प्रतिलिपि सूचनावाची

1. क्षेत्रीय अतिरिक्त सचालक उच्च शिक्षा विभाग, जबलपुर सभाग, जबलपुर।
2. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संगठन शासकीय एवं आशासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यगणों से इस अनुरोध के साथ कि म०५० शासन के प्रपत्र अनुसार यदि आपके महाविद्यालय में विश्वविद्यालय से संबंधित फिर्सी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो उक्त सूचना ०३ दिवस के भीतर अधोहस्ताकरकर्ता के कायांलय में जमा करें।
3. परीक्षा नियंत्रक, रा०दु०वि०पि०, जबलपुर।
4. उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव परीक्षा/गोपनीय विभाग, रा०दु०वि०पि०, जबलपुर।
5. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव जी के निज सहायक, रा०दु०वि०पि०, जबलपुर।
6. प्रभारी कम्प्यूटर सेंटर से अनुरोध है कि वे इस सूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।


 कुलसचिव 28.11.19
 रानी दुर्गाविती विश्वविद्यालय,
 जबलपुर